



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 2011/फाल्गुन 6, 1932

No. 371]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 2011/PHALGUNA 6, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2011

आय-कर

का.आ. 435(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर नियम, 1962 के नियम 6घषख के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 43 के खंड (5) के परंतुक के खंड (घ) के स्पष्टीकरण में खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को, उक्त खंड के प्रयोजन के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के रूप में अधिसूचित करती है।

2. भारतीय यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, ऐसी प्रणाली में जिसमें कक्षीकर कोड को उपांतरित किए जाने के लिए अनुज्ञात किया है, रजिस्ट्रीकृत सभी संव्यवहारों की बाबत, पृथक् रूप से आंकड़े रखेगा और आय-कर महानिदेशक (आसूचना), नई दिल्ली को ऐसे प्रत्येक मास के जिससे विवरण संबंधित है, अंतिम दिन से पन्द्रह दिन के भीतर साफ्ट कापी में, ऐसे उपांतरित संव्यवहारों के ब्यौरे सहित मासिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

3. केन्द्रीय सरकार, यदि आय-कर नियम, 1962 के नियम 6घषक में विनिर्दिष्ट किसी शर्त का, अतिक्रमण किया जाता है तो भारतीय यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज को दी गई मान्यता वापस ले सकेगी।

4. यह अधिसूचना, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन को वापस लेने तक या उसकी समाप्ति तक या आय-कर नियम, 1962 के नियम 6घषख के उप-नियम (5) में यथाउपबोधित केन्द्रीय सरकार द्वारा विखंडित किए जाने तक, प्रवृत्त रहेगी।

[अधिसूचना सं. 12/2011/फा. सं. 142/20/2010-एसओ(टीपीएल)]

राजेश कुमार भूत, निदेशक (कर नीति और विधान)